राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक:प.27(2)मं.मं/2009 जयपुर, दिनांक: 21-01-2015

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं।

इस संबंध में आवश्यक है कि राजस्थान कार्य विधि नियमों के नियम 31(1) के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में आवश्यक आदेश प्रसारित करने से पूर्व प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं।

उक्त नियम 31(1) की पालना सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में भी मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा परिपत्र दिनांक 17.02.2001, 5.10.2001, 24.05.2002, 13.10.2004 एवं 25.08.2011 के द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है।

उक्त निर्देशों की कतिपय विभागों द्वारा अभी भी पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है । अतः राजस्थान कार्यविधि नियम 31(1) (XXXVI) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम 31 (1) में वर्णित समस्त प्रकरणों के साथ–साथ निम्न श्रेणी के प्रकरण भी आदेश प्रसारित करने से पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता है:–

1. राज्य सरकार के स्तर पर केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व उनके संगठनों, पब्लिक या प्राईवेट एंटरप्राईजेज या जोईन्ट वेंचर कम्पनीज को भूमि आवंटन के मामले।
2. राज्य सरकार के स्तर पर नई शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था खोलने की स्वीकृति या विद्यमान संस्था के पुनर्गठन से सम्बन्धित मामले।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
2. सचिव, मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. सचिवालय के समस्त विभाग/प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।